



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 288 राँची, शुक्रवार,

19 मई, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

16 मई, 2023

संख्या-11/रिम्स(विधि)-03-16/2018- 118(11)/स्वा--माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका WP (PIL) No- 3009/2018 झारखण्ड छात्र संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में वादी के राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में परिचारिकाओं एवं कनीय चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने के कारण हुई 28 मौतों की जिम्मेवारी तय करने संबंधी प्रार्थना के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जाँच हेतु सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया गया है ।

2. आदेशानुसार उक्त मामले में हड़ताल के कारण हुई मौतों की जाँच हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री सज्जन कुमार दूबे की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है ।

3. उक्त समिति अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से अधिकतम 3 माह में मामले की जाँच करते हुए अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित करेगी ।
4. प्रासंगिक जाँच में निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची सभी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे ।
5. समिति के अध्यक्ष को रु 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा, जिसका भुगतान रिम्स प्रशासन द्वारा किया जायेगा ।
6. समिति के अध्यक्ष को प्रधान जिला न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देय होंगी ।
7. समिति के लिए कार्यालय राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान(रिम्स), राँची के प्रशासनिक भवन में आवंटित किया जायेगा ।
8. समिति के कार्यालय हेतु एक सहायक, एक आदेशपाल एवं एक कम्प्युटर ऑपरेटर की सुविधा रिम्स प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आलोक त्रिवेदी,
सरकार के विशेष सचिव ।
